राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	3261/2024 दीपमाला सैनी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)–द्वितीय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 3. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल भवन–2, सिविल लाईन जयपुर। 4. शकील अहमद जरिये मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल भवन–2, सिविल लाईन जयपुर।	07.11.2024	श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक
2.	3262/2024 अर्चना सुमन	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 एवं 3 4. जयराम सैनी जरिये मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल भवन–2, इलेक्ट्रिकल लाईन, जयपुर।		
3.	3263/2024 अंजुम शाहीन			

आदेश की दिनांक : 13.11.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3261/2024 दीपमाला सैनी बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी कनिष्ठ अभियंता (सिविल डिप्लोमाधारी) के पद पर कार्यालय उपखंड बसेडी, जिला धौलपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग नियमों के विपरीत जाकर

कनिष्ठ अभियंताओं की डीपीसी आयोजित कर रहा है, जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है, परंतु अपीलार्थी के नाम पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 05.08.2024 को जारी की गई और जिसमें कनिष्ठ अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति वर्ष 2016 में हुई थी और अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2015 में हुई थी। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 193 पर और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 115 पर अंकित किया गया जबकि उसकी नियुक्ति अपीलार्थी से एक वर्ष बाद की गई थी। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के शर्त संख्या 9.1 जिसमें स्पष्ट है कि चयन के, जो पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अध्ययधीन न हो, परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे जो पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप चयनित तथा नियुक्त किये गये हैं और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वरिष्ठता की सही गणना नहीं करना नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी भी वरिष्ठता के आधार पर सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी को वंचित किया जाना नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 05.08.2024 को अपास्त फरमाया जावे और यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थीगण के नाम को भी वरिष्ठता सूची में जोडे जावें। तत्पश्चात् रिव्यू डीपीसी सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु की जावे।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कनिष्ठ अभियंता (सिविल डिप्लोमाधारी) के पद पर कार्यालय उपखंड बसेडी, जिला धौलपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग कनिष्ठ अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु डीपीसी आयोजित कर रहा है, जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है, परंतु अपीलार्थीगण के नाम पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जो अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 05.08.2024 को जारी की गई और जिसमें कनिष्ठ अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति वर्ष 2016 में हुई थी और अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2015 में हुई थी, का नाम अंकित किया गया है। जबकि अपीलार्थी का नाम

क्रम संख्या 193 पर और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 115 पर अंकित किया गया जबकि उसकी नियुक्ति अपीलार्थी से एक वर्ष बाद की गई थी। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के शर्त संख्या 9.1 जिसमें स्पष्ट है कि चयन के, जो पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अध्ययधीन न हो, परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे जो पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप चयनित तथा नियुक्त किये गये हैं। जहां तक अपीलार्थीगण के नाम पर सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विचार नहीं किये जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं किया जाता है तब तक सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु डीपीसी आयोजित नहीं की जावे।

अतः उक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलें, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 3261/2024 दीपमाला सैनी बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त अपीलों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य